manent green cover. However, some suggestions cannot be taken up because of legal restrictions or financial constraints for exampl forest wastelands cannot be made available to the local communities/ cooperatives/educational institutions for greening as this would be against the National Forest Policy as well as provisions of the Forest Conservation Act. Shri Dharia was also requested by Minister of State (Wastelands Development) for discussions on his suggestions.

(c) The Wastelands Development Programme in the country receive through formal institutional structures and consultations with different groups involved in wastelands development, regular policy and technical inputs because of which Government do not propose to institute a separate committee for development of wastelands.

गुजरात में मुकदमेबाजी में फंसी भूमि

2033. **श्री गोपालसिंह जी० सोलंकी :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गुजरात में मुकदमेबाजी में फंसी 75% भूमि का शीघ्र निपटान करने का निर्णय मार्च, 1992 में आयोजित राजस्व मंत्रियों की बैठक में किया गया था ;

(ख) यदि हां, तो मार्च, 1993 तक कितनी प्रतिशत भूमि का निपटान हो चुका है ; और

(ग) इस संबंध में केन्द्रीय सरकार राज्य सरकार को क्या निर्देश दे रही है ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) से (ग) 14 मार्च, 1992 को नई दिल्ली में हुए राजस्व मंत्रियों के सम्मेलन में अन्य बातों के साथ-साथ यह निर्णय लिया गया था कि राजस्व न्यायालयों में मुकदमेबाजी में फंसी भूमि में से 75% भूमि को मुकदमेबाजी से मुक्त कराया जाए ताकि यह पात्र भूमिहीन गरीबों में वितरण हेतु उपलब्ध हो सके । वितरण का यह कार्य 30 सितम्बर, 1992 तक पूरा कर लिया जाना चाहिए। संबंधित राज्य सरकारों को तदनुसार सलाह दी गई है । इसके अतिरिक्त, गुजरात सरकार सहित अलग-अलग राज्य सरकारों से पत्रों के माध्यम से अधिकतम सीमा से फालतू उपलब्ध भूमि का वितरण करने, मुकदमों के शीघ्र निपटान के लिए संविधान के अनुच्छेद-323-ख के अंतर्गत विशेष भूमि न्यायाधिकरण स्थापित करने अथवा विशेष न्यायपीठ स्थापित करने के लिए अपने-अपने उच्च न्यायालयों से अनुरोध करने को कहा गया था, इन पत्रों में प्रधान मंत्री का 7 नवम्बर, 1991 तथा ग्रामीण विकास राज्य मंत्री के 21 नवम्बर, 1991, 6 अप्रैल, 27 जून और 28 नवम्बर, 1992 तथा 16 फरवरी, 1993 के अर्धशासकीय पत्र शामिल हैं।

राज्य सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार, 1-4-1992 से 31-3-1993 की अवधि के दौरान राजस्व न्यायालयों के समक्ष मुकदमों से मुक्त कराए गए 46.56 प्रतिशत क्षेत्र का वितरण कर दिया गया है।

Growth of Parthenium needs in Bangalore

2034. SHRI B. K. HARIPRASAD: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether Government's attention has been drawn to a report published in India Today' (April 30, 1993) that there has been prolific growth of Parthenium weeds in Bangalore urban area the pollan of which causes allergy on mass scale leading to respiratory troubles like Asthma etc;

(b) if so, whether Government propose to take up a Parthenium Eradication Project in Bangalore urban area to check the spread of allergy among Bangalore residents; and

(c) whether it is also a fact that ex perimental cultivation of Mexican Beetle and Cassia Cerecia has been attempted to check the growth of Parthenium and if so, the results thereof?